न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19/2020
प्रविष्टि दिनांक 20.08.2020

जगदीश पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी जालिमगंज तहसील दूनी जिला टोंक राज0
–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नगरफोर्ट जिला–टोंक राजस्थान
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 03.03.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अजय सिंह सोंलकी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 31.12.2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 03.03.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 478/262 रकबा 0.30 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम जालिमगंज पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया और नही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर नही दिया और पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान मे अपीलांट द्वारा कब्जा हटा लिया है और मौके पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट ने अपील पेश करते समय ही उक्त भूमि पर से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 487/262 रकबा 0.30 है0किस्म चरागाह वाके ग्राम जालिमगंज तहसील दूनी पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए प्रार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण संख्या 217 निर्णय दिनांक 19.02.2019 मे की गई बेदखली की कार्यवाही एंव मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने की पटवारी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित होता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जे के संबंध मे नायब तहसीलदार नगरफोर्ट से शपथ पत्र की प्रति भेजकर जांच करवाने पर नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने उनके पत्र कमांक 181 दिनांक 11.12.2020 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 478/262 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम जालिमगंज पर अब वर्तमान मे अतिक्रमी द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है और वर्तमान मे उक्त चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अपीलांट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया गया है के बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा पटवारी ने भी अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है की रिपोर्ट पेश की है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.03.2020 द्वारा अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि नायब तहसीलदार नगर[illegible] सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो [illegible] अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

([illegible])
अति.जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:17 IST
Reason: SelfAttested

929

Scanned by CamScanner